पुस्तकालय
1
3181
6/3/12

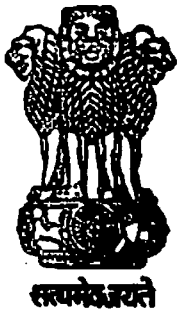

सत्यमेव जयते

असंशोधित

27 FEB 2012

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

--------

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
सं० 69 तिथि 05-3-12

श्री विजय कुमार चौधरी(मंत्री)(कमशः): दूसरी बात वो जो नेपाल भाग से कुछ भाग बतला रहे थे कि0मी0 के हिसाब से उसकी सूचना इसमें थी नहीं और सरकार किसी भी दोषी को न बचाना चाहती है, जो भी एजेंसी गलत करेंगे उनके खिलाफ हमने बतलाया है कि सरकार तत्काल कार्रवाई करती है,जो उसमें डिफॉल्टर के लिए क्लौज है 2 प्रतिशत काटने का वो भी हमने निर्देश दे दिया है और जो अभी माननीय सदस्य ने बतलाया है नेपाल और बिहार भाग में जो कि0मी0 का डिफरेंस है,उसके लिए भी ये अलग से सूचना दे दें तो जिससे कहेंगे हम उससे जांच करवा देंगे।

सर्वश्री अरूण शंकर प्रसाद,राम नरेश यादव एवं अन्य तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य

---

---

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय,वर्ष 2010 में राज्य के सभी 38 जिलों को सुखड़ग्रस्त घोषित किया गया था। वर्ष 2010-11 में धान के बिचड़े एवं खरीफ फसल की सिंचाई हेतु बिहार के सभी जिलों को डीजल अनुदान के मद में 179 करोड़ 68 लाख 87 हजार रू0 उपलब्ध कराये गये थे। किसानों को दो सिंचाई हेतु चार सौ रू0 प्रति एकड़ की दर से भुगतान का प्रावधान था। इसी प्रकार धान की रोपणी,मक्का बुआई करने हेतु भी कमशः छः सौ एवं चार सौ रू0 अनुदान उपलब्ध कराया गया था,परन्तु अभी भी मधुबनी सहित कई जिले में अनुदान राशि का वितरण कार्य अधिकारियों की लारवाही से पूरा नहीं हो सका है।

अतः बिहार के सभी जिलों में अनुदान की राशि का पूर्णरूपेण वितरण कराने एवं बिलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री): महोदय,यह सही है कि वर्ष 2010 में राज्य के सभी सुखाग्रस्त जिलों में धान के बिचड़े एवं खरीफ फसल के सिंचाई हेतु मधुबनी जिला सहित सभी जिला पदाधिकारी को डीजल अनुदान में 179 करोड़ 68 लाख 87 हजार रू0 का आवंटन उपलब्ध कराया गया था जिला पदाधिकारी को अपने जिला में प्रभावित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशि आवंटित करना था। प्रखंड विकास पदाधिकारी को नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर पंचायतों के राशि पंचायत को उपलब्ध कराना था। पंचायतों को ग्राम सभा के अनुमोदित सूची के अनुसार राशि का वितरण करना था। 30 नवम्बर,2010

तक क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान का प्रावधान था। प्राप्त सूचना के अनुसार मधुबनी जिला सहित राज्य में 179 करोड़ 68 लाख 87 हजार रू0 आवंटन के विरूद्ध 72 करोड़ 70 लाख 60 हजार रू0 का वितरण किया गया है। ग्राम सभा में प्राप्त दावों के आधार पर अवशेष राशि वितरण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय,माननीय मुख्यमंत्री जी के सेवा यात्रा में जो प्रगति प्रतिवेदन मधुबनी जिला का आया है, उसमें आवंटन तो है लेकिन व्यय की गयी राशि शून्य है उसकी प्रति मेरे पास उपलब्ध है,माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या मधुबनी जिला के अन्दर एक भी रू0 इस मद में वितरित किया गया है और अगर इतने दिनों तक 2010-11 की राशि का अभी तक अगर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आवंटन और उप आवंटन की कार्रवाई नहीं की जा सकी है तो क्या अपेक्षा की जा सकती है कि किसानों के इस राशि का वितरण कबतक हो जायेगा?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री): महोदय,मैंने कहा फिर से उसको रिपिट किया गया है जो बची हुई राशि है,चूंकि पंचायत के आम सभा से उस सूची को एप्रुव होना है और इसके बाद ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मुखिया को दिये गये धन का वितरण किया जायेगा,धन पंचायत को दे दिया गया है तो मैंने इसी को पढ़ा कि निर्देशित किया गया है सभी जिला पदाधिकारी को कि अबिलम्ब इस प्रक्रिया को पूरा कर के बची हुई राशि को जो किसान इसके लिए सक्षम है जिसका इसमें अधिकार बनता है उसके बीच में वितरण कर दिये गये हैं।

श्री आनन्दी प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय,हमारे यहां अररिया जिला में भी राशि पड़ी हुई है और आज तक जिला पदाधिकारी द्वारा वितरण की कोई कार्रवाई नहीं की है,आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ बिहार के सभी जिले में जो राशि पड़ी हुई है, उसकी वितरण की व्यवस्था और कबतक उसको वितरित करवा देंगे।

अध्यक्षः आनन्दी जी,आपका इस ध्यानाकर्षण में कोई हस्ताक्षर नहीं है इसलिए आप इसमें कुछ पूछ नहीं सकते हैं।

श्री मोती लाल प्रसादः अध्यक्ष महोदय,मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मधुबनी जिला में इस संबंध में कोई कार्रवाई हुई है,राशि वितरण नहीं हुआ,ये तो बात समझ में आयी लेकिन इसके लिए कहां तक कार्रवाई हुई है, कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है या बाकी जगह जहां वितरण नहीं हुआ है एक भी रू0 वहां कौन सी कार्रवाई किस स्तर तक गयी है, अगर कार्रवाई ही कहीं नहीं होगा तो ये राशि कभी वितरित नहीं होगी।

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्षः आपकी कोई बात नहीं जा रही है तारकिशोर जी,आप इसमें हस्ताक्षर नहीं किये है आपकी कोई बात कही हुई अभी प्रोसिडिंग में नहीं जा रही है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री): महोदय,मैंने जैसा कहा कि प्रखंड जिला पदाधिकारी को निर्देश था कि प्रखंड को दे दिये जायें और प्रखंड विकास पदाधिकारी को था कि पंचायत को राशि दे दी जाय ताकि लोगों को डीजल अनुदान के लिए दौड़ना नहीं पड़े तो उसमें था कि जो किसान रसीद देंगे, आवेदन देंगे मुखिया के पास और उसको ग्राम सभा के द्वारा इसको एप्रुव करना था और तब राशि बंटनी थी तो जहां नहीं बंटी कार्रवाई क्या,निर्देशित किया गया है कि फिर से उस कार्रवाई को पूरा करे के बांटा जाय और नहीं बांटा,बांटने में दुरूपयोग होगा तब कार्रवाई की गुंजाईश बनती है,नहीं बंटा है तो जब प्रक्रिया पूरी होगी तो राशि वापस की जायेगी, कार्रवाई की कोई बात तो उसमें हो नहीं सकती है।

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय,मुझे जहां तक जानकारी है,हमारे प्रखंड और जिला के बारे में कि राशि प्रखंड तक गयी और पंचायत में ग्राम सभा होकर रसीद भी जमा हो गया.

अध्यक्षः अरूण शंकर जी,आपका प्रश्न अब खत्म हो गया, दो प्रश्न करने का था आपको।

श्री अरूण शंकर प्रसादः ठीक है अध्यक्ष महोदय,इसको मैं आपके माध्यम से छोड़ रहा हूँ।

श्री रामनरेश प्रसादः अध्यक्ष महोदय,सीतामढ़ी जिला में भी जो राशि गयी है,वही स्थिति है और सम्पूर्ण जिलों में थोड़ा मोड़ा आवंटन कर के सारी राशि रखी गयी है और किसानों को सरकार लाभ देना चाहती है और बड़े पैमाने पर किसानों के प्रति सोच रखती है लेकिन किसानों को जो अनुदान दिया जाना है,ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लापरवाही बरतने के कारण सीतामढ़ी जिले में भी जो अनुदान नहीं बंटा है तो क्या उन पदाधिकारियों पर, सरकार चाहती है बंटवाना और पदाधिकारी नहीं करना चाहते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव(मंत्री): महोदय,ये अनुदान की राशि 2010 में ही दी गयी थी पंचायत को दी गयी थी, पंचायत को जैसा कि मैंने कहा जो लोग डीजल लिये,रसीद की कौपी के साथ आवेदन देना था और पंचायत समिति की आमसभा उसको एप्रुव करती है तो जहां प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी,चुनाव भी हो गया ,बहुत जगह भूत भी हो गये लोग, अब नये भी आ गये है तो राशि नहीं बंटी है तो उसकी वापसी हो जायेगी लेकिन नहीं बंटा,गलत

बंटता तब न, अब तो 2012 हो गया, अब कौन कहां हैं,क्या है, यह मुश्किल काम तो है महोदय।

श्री विनोद सिंह: अध्यक्ष महोदय,एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है,अध्यक्ष महोदय, इसको सुन लिया जाये,करना नहीं करना तो बाद की बात है,इस पर डिसीजन लेना आपका काम है। ये कल रात में हम सदन पकड़ने के लिए हम आ रहे थे तो 11 बजकर 25 मिनट में और नवगछिया से लेकर सतीश नगर तक की एन0एच0 रोड जर्जर है, उस कारण से भागलपुर होकर हमलोग आते हैं। अध्यक्ष महोदय,मेरी गाड़ी के सामने में एक ट्रक लगी हुई थी और कोई जाम नहीं था और ट्रक का नं0 मेरे पास है दोनों ट्रक का, एक पीली बत्ती लगी हुई गाड़ी और जिस पर से माला लदा हुआ था और नेम प्लेट में कवर लगा हुआ था और पीली वत्ती के पीछे में एक कमांडर गाड़ी जिसमें बिहार पुलिस भरी हुई थी और वो बिहार पुलिस वो सामने में एक गोरा जैसा व्यक्ति,वो गोरा व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे, उतर के ड्राईबर को खींचकर गाड़ी से और बुरी तरह से मारने लगा 10-12 की संख्या में पुलिस लोग और मारते मारते उसको जख्मी कर दिया और जख्मी करने के बाद 14-15 ट्रक उतने देर में लग गया, सारे ट्रक का हेड लाईट और उसका मिरर फोड़ दिया, जब घटनास्थल पर हम उतरे तो लोग बोला कि ये भागलपुर का डी0एम0 है,बोला कि सबको जितना पिटना है पिटो,खड़ा होकर जो है से पिटवा रहा था तो हमको ये लगा कि सदन के अन्दर में इसकी जानकारी देना जरूरी था।

अध्यक्ष: बैठिये।

अब घ्यानाकर्षण समाप्त हुआ।

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

( अन्तराल के बाद )

( इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया। )

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

## कृषि रोड मैप के प्रारूप पर विचार-विमर्श

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री, कृषि विभाग द्वारा बिहार कृषि रोड मैप के प्रारूप पर सदन में विमर्श करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इसके लिए दिनांक 27.एवं 28फरबरी, 2012 निर्धारित है । प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कुल चार घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा ।

| | |
|---|---|
| जनता दल यूनाइटेड- | 116मिनट |
| भारतीय जनता पार्टी- | 90मिनट |
| राष्ट्रीय जनता दल- | 22मिनट |
| कांग्रेस पार्टी - | 04मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी- | 01मिनट |
| सी0पी0आई0- | 01मिनट |
| निर्दलीय - | 06मिनट |
| | कुल: 240मिनट |

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री नरेन्द्र सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

"यह सभा बिहार कृषि रोड मैप के प्रारूप पर विचार-विमर्श करे ।"

महोदय, जैसा कि आप को ज्ञात है और सदन को ज्ञात है कि वर्ष 2006 से राज्य के कृषि विकास के एक नए युग का प्रारम्भ हुआ । किसानों के हित की योजनाएं शुरू की गई । कृषि विकास को एक ठोस आधार देने के लिए कई कार्यक्रम तय किए गए और 2008 में एक कृषि रोड